FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रामासनी

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
करनसिंह		राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा राजस्व वाद संख्या–179/2021

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर वा तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.12.2021	प्रार्थी करनसिंह पुत्र तखतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाड़ा ने राजस्व शिविर कैम्प रामासनी में धारा–88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 195 रकबा 3.7376 हैक्टेयर तथा ग्राम शिवनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 438 रकबा 1.9416 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 542 रकबा 7.6046 हैक्टेयर है। उक्त खातेदारी भूमि वादी के पिता तखतसिंह पुत्र माधोसिंह की थी। तखतसिंह जी का देहान्त सन् 2009 में हो गया, उनके देहान्त का फौतेदगी नामांन्तकरण स्वीकृत किया गया। उस फौतेदगी नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम करनसिंह के बजाय करनेलसिंह लिख दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम करनसिंह है तथा सरकारी दस्तावेज भी करनसिंह के नाम से जारी किये हुए है अन्त में निवेदन किया कि खातेदारी भूमि में करनेलसिंह पुत्र तख्तसिंह के स्थान पर करनसिंह पुत्र तख्तसिंहकी खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जावे। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी करनसिंह ने अपने वाद के समर्थन में अपने स्वयं के बयान दर्ज करवाये। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर वादी करनसिंह का आधारकार्ड, पेनकार्ड, जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 195 रकबा 3.7376 हैक्टेयर ग्राम रामासनी (करनेलसिंह पुत्र तख्तसिंह), जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खसरा नम्बर 438 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, ,खसरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 542 रकबा 7.6046 हैक्टैयर ग्राम शिवनगर (करनेलसिंह पुत्र तख्तसिंह) आदि पेश किये है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर कार्यालय ग्राम पंचायत रामासनी द्वारा जारी किया गया विरासत प्रमाण पत्र को पेश किया है। तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्लू. 2 शिम्भुसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाड़ा के बयान कलमबद्ध करायें गये। तहसीलदार बिलाड़ा से उपरोक्त खातेदारी भूमि का जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा नें जवाब पेश किया, जो जवाब को शामिल पत्रावली कराया गया। वादी ने मजमा आम में निवेदन किया कि मेरा नाम उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में करनेल सिंह लिख दिया गया है, गलत प्रविष्टि के कारण मेरा खाता में नाम अंकित नहीं हो रहा है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अध्ययन करने से विदित होता है कि वादी का नाम करनसिंह के बजाय करनेल सिंह दर्ज कर दिया गया है, जो एक त्रुटी है। उक्त

वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है अतः ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 3.7376 हैक्टेयर तथा ग्राम शिवनगर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.9416 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 542 रकबा 7.6046 हैक्टेयर में करनेल सिंह पुत्र तख्तसिंह के स्थान पर **करनसिंह पुत्र तख्तसिंह** जाति राजपुरोहित निवासी रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। उक्तानुसार तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। इसी माफिक निर्णय का डिक्री पर्चा जारी हों, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प ग्राम रामासनी में खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा कैम्प रामासनी

व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
करनसिंह पुत्र तख्तसिंह		राजस्थान सरकार
जाति राजपुरोहित निवासी रामपुरिया भाटियान		तहसीलदार बिलाड़ा
तहसील बिलाड़ा		

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

राजस्व वाद संख्या :— 179 / 2021

निर्णय **दिनांक** :— 01.12.
2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी वादी स्वयं मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या—1 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पे"। होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम रामासनी तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 3.7376 हैक्टेयर तथा ग्राम शिवनगर तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 438 रकबा 1.9416 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 542 रकबा 7.6046 हैक्टेयर में करनेल सिंह पुत्र तख्तसिंह के स्थान पर **करनसिंह पुत्र तख्तसिंह** जाति राजपुरोहित निवासी रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाड़ा की खातेदारी काश्तकारी की घोषित की जाती है। [illegible] तहसीलदार बिलाड़ा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.12.2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.25 16:06:17 IST
Reason: SelfAttested